प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 07.08.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर जानलेवा हमला करने में 02 और आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारीः-

अवगत कराना है दिनांक 01.08.2024 को अभियुक्तगण द्वारा कार्यसरकार में बाधा उत्पन्न करते हुये आपराधिक बल का प्रयोग करते हुये जानलेवा हमला करने आदि के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर उ0नि0 रविप्रकाश थाना बिलारी द्वारा मु0अ0सं0-480/2024 धारा-191(2)/125/109/121(1)/132 बीएनएस व धारा 07 दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 पंजीकृत कराया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 02.08.2024 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा पूर्व में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा गया है। उक्त क्रम में आज दिनांक 07.08.2024 को 02 और अभियुक्त 1-सलीम खा पुत्र नन्हे खा 2-सलमान ख़ा पुत्र एजाज खा निवासीगण ग्राम नौसना स्योडारा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-सलीम खा पुत्र नन्हे खा

2-सलमान ख़ा पुत्र एजाज खा निवासीगण ग्राम नौसना स्योडारा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-निरीक्षक अपराध राजेश यादव

2-उ0नि0 रविप्रकाश

3-हे0का0 कौशल कुमार

4-का0 रजनेश कुमार

2-अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार थाना कुन्दरकी-

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, अवैश शस्त्र के निर्माण, बिक्री पर रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा दिनांक 06.08.2024 की रात्रि में अभियुक्त जुगनू पुत्र ईश्वर दयाल नि0 मो0 नुरुल्ला ब्लाक के पीछे कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0-257/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जुगनू पुत्र ईश्वर दयाल नि0 मो0 नुरुल्ला ब्लाक के पीछे कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद

बरामदगी-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व एक कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 अनिल कुमार मय पुलिस बल
थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद

3-ए0टी0एम0 मशीन से धोखाधड़ी कर पैसे चोरी करने का अभियुक्त गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्स, कब्जे से धोखाधड़ी/चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड आदि बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2024 को वादी यश चतुर्वेदी पुत्र श्री योगेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी निवासी राम गंगा विहार एच0आई0जी0 थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा धोखाधड़ी कर कांठ रोड स्थित ए0टी0एम0 से रुपये चोरी करने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर देकर मु0अ0स0-648//2024 धारा-318(4),305 B.N.S पंजीकृत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, धोखाधड़ी, चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स के निकट नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 07.08.2024 को प्रकाश में आये अभियुक्त **नसीम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी खुसहाग पार्क लोनी देहात जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार** किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू व 24 पत्ती लोहा, 06 डबल साड टैप, 01 छोटी कैंची, 01 मोबाइल, 01 पत्ती काटने का कटर, 02 स्प्रे डिब्बे, 04 डेबिट कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 9,250 रुपये नकद बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) B.N.S व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नसीम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी खुसहाग पार्क लोनी देहात जनपद गाजियाबाद ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त, ATM मशीन में पैसे निकलने वाली जगह पर लौहे की पत्ती टैप लगाकर चिपका देता था इस बीच जो व्यक्ति पैसा निकलाने आते थे उनका पैसा इस पत्ती पर रुक जाता था जिसको बाद मैं अभियुक्त द्वारा निकाल लिया जाता था यदि पत्ती फंस जाती है तो चाकू के प्रयोग से निकाल लेता है।

ATM मशीन से पैसा निकालने वाली जगह के अनुसार छोटी-बड़ी पत्ती तैयार करता था। दिनांक 04.08.2024 को अभियुक्त ने मौरा बाजार कांठ रोड पर लगे ATM मशीन में पत्ती लगायी थी और खड़ा हो गया था लगभग 10 मिनट बाद एक व्यक्ति ATM में आया और पैसे निकालने लगा उसका पैसा ATM से नहीं निकला और वह चला गया उसके जाते ही अभियुक्त ने ATM से अपनी लगायी हुई लोहे की पत्ती निकाली जिसमें 10 हजार रुपये मिले थे।

बरामदगी-

01 अवैध चाकू व 24 पत्ती लोहा, 06 डबल साड टैप, 01 छोटी कैंची, 01 मोबाइल, 01 पत्ती काटने का कटर, 02 स्प्रे डिब्बे, 04 डेबिट कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 9,250 रुपये नकद

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0-648/2024 धारा-318(4),305,317(2) B.N.S व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 पवन कुमार मय

2-का0 दीपक कुमार व का0 अंकित यादव थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद ।

4-दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारी-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.08.2024 को वादी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादनी के साथ दुष्कर्म करना (दिनांक घटना-04.03.2024) तथा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर रूपयों की मांग करना तथा ना देने पर वीडिओ वायरल कर देने, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर देकर मु0अ0सं0-490/2024 धारा-376/354/384/506 आईपीसी व 67ए आईटी एक्ट पंजीकृत कराया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 07.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक बिलारी रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मय हमराही पुलिस बल अभियुक्त फैज़ान उर्फ़ बब्लू पुत्र सलीम निवासी ग्राम सफीलपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

फैज़ान उर्फ़ बब्लू पुत्र सलीम निवासी ग्राम सफीलपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-रविन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बिलारी
2-उ0नि0 जयवीर सिंह
3-का0गौरव कुमार
4-का0 सचिन सैनी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

5-अवैध तमंचा के साथ 02 गिरफ्तार थाना गलशहीद-

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, अवैश शस्त्र के निर्माण, बिक्री पर रोकथाम व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना गलशहीद पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.08.2024 को 1- शाहरूख उर्फ चिन्टू पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम मंसूरपुर माफी थाना असमौली जनपद सम्भल को 01 अवैध तमंचा 15 बोर 2- शाकिर उर्फ लल्ला पुत्र ताहिर हुसैन निवासी ग्राम मंसूरपुर माफी थाना असमौली जनपद सम्भल को 01 अवैध तमंचा 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गलशहीद पर मु0अ0सं0 क्रमश 122,123/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये हैं, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-शाहरूख उर्फ चिन्टू पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम मंसूरपुर माफी थाना असमौली जनपद सम्भल

2- शाकिर उर्फ लल्ला पुत्र ताहिर हुसैन निवासी ग्राम मंसूरपुर माफी थाना असमौली जनपद सम्भल

बरामदगी-

अभियुक्त शाहरूख उर्फ चिन्टू से 01 अवैध तमंचा 15 बोर

अभियुक्त शाकिर उर्फ लल्ला से 01 अवैध तमंचा 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 अमर मलिक मय पुलिस बल

थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद

6-थाना कटघर पुलिस द्वारा, शान्ति भंग करने में 06 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 07.08.2024 को थाना कटघर पुलिस द्वारा 06 अभियुक्त को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त-

1-वाँवी पुत्र श्री किशनलाल निवासी जोशियान महबुल्लागंज थान कटघर जिला मुरादाबाद

2-फकीरा पुत्र हिदायत अली निवासी हमीरपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

3-सौहेल उर्फ मुख्तयार पुत्र मुम्ताज निवासी होलपुर मदनापुर थाना मुढापाण्डे मुरादाबाद

4-अरविन्द पुत्र बुद्धराम निवासी ग्राम भैसिंया थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

5-विशाल पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम भैसिंया थाना कटघर जनपद मुरादाबाद

6-कमल पुत्र सुम्मेरा निवासी उपरोक्त